क्रम-संख्या–41

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 4 मार्च, 2011

फाल्गुन 13, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 303/79-वि–1-11-1(क)-10–2011

लखनऊ, 4 मार्च,, 2011

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने **उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011** पर दिनांक 3 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2011 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2011

[उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 5 सन् 2011]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2004 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(6) राज्य सरकार प्राप्ति और व्यय के सारवत महत्वपूर्ण मदों का विवरण प्रस्तुत करते हुए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति को अपनाकर अधिक व्यापक बनाने का प्रयास करेगी।"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में,

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

"(क) राजकोषीय वर्ष 2011—12 की समाप्ति तक राजस्व घाटा शून्य करेगी और राजस्व सन्तुलन बनाये रखेगी या तत्पश्चात अधिशेष प्राप्त करेगी।"

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट वर्ष तक प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक तीन प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे में कमी करेगी और तत्पश्चात् इस स्तर को बनाये रखेगी।"

(ग) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) यह सुनिश्चित करेगी कि राजकोषीय वर्ष 2014—15 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक उस वर्ष के प्राक्कलित सकल घरेलू उत्पाद के बयालीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो।"

धारा 6 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :—

"(6) सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के विशेष सन्दर्भ में सरकार की वित्तीय स्थिति की प्रास्थिति की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र अभिकरण नियुक्त करेगी। ऐसी समीक्षा का कालनियतन उसी प्रकार होगा जैसा कि विहित किया जाय।"

उद्देश्य और कारण

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति कर, राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभारी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण, राज्य सरकार के सम्व्यवहारों में महत्तर पारदर्शिता लाने और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा का प्रयोग कर, सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के संबंध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया है।

2—उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (क), (ग) और (च) में प्रावधान है कि राज्य सरकार 1 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक राजकोषीय घाटे में कमी करेगी और ऊपर दिये गये लक्ष्य और प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी करेगी।

3–तेरहवें वित्त आयोग ने ऊपर पैरा–दो में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य वर्षों को परिवर्तित करने की संस्तुति की है।

अतएव तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में क्रमशः राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋणों को कम करने के लिए उक्त खण्ड (क), (ग) और (च) को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त तेरहवें वित्त आयोग ने मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति को अधिक व्यापक बनाने के लिए और उक्त अधिनियम सन् 2004 के विभिन्न खण्डों के कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ में राज्य की राजकोषीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन करने के लिए संस्तुति की है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
के०के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 303(2)/LXXIX-V-1-11-1 (ka) 10/2011

Dated Lucknow, March 4, 2011

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitwa Aur Budget Prabandh (Sansodhan) Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhy 5 of 2011) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 3, 2011 :–

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2011

[U.P. Act No. 5 of 2011]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 5 of 2004

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 hereinafter referred to as the principal Act, after sub-section (5), the following sub-section shall be *inserted* namely:–

"(6) The State Government shall endeavour to make the Medium Term Fiscal Restructuring Policy more comprehensive giving details of all significant items of receipt and expenditure."

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3),–

(a) for clause *(a)* the following clause shall be *substituted*, namely:–

"(a) reduce revenue deficit to nil by the end of the fiscal year 2011-12, and maintain revenue balance or attain a surplus thereafter"

(b) for clause *(c)* the following clause shall be *substituted*, namely:–

"*(c)* reduce fiscal deficit to not more than three percent of the estimated Gross State Domestic Product by the year referred to in clause *(a)* and maintain this level thereafter"

(c) for clause *(f)* the following clause shall be *substituted* namely:–

"(f) ensure that the total debt stock at the end of the fiscal year 2014-15 does not exceed forty two percent of the estimated gross state domestic product for that year"

Amendment of section 6

4. In section 6 of the principal Act, after sub-section (5), the following sub-section shall be *inserted*, namely:–

"(6) The Government shall appoint an independent agency to review the status of financial position of the Government with special reference to the compliance of the provisions of this Act. The periodicity of such review shall be such as may be prescribed."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 has been enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government borrowings, Government guarantees, debt and deficit, greater transparency in fiscal operation of the State Government and use of a medium term fiscal framework.

2. Clause *(a)*, *(c)* and *(f)* of sub-section (3) of section 4, of the said Act, provide that the State Government shall reduce fiscal deficit to not more than three percent of the estimated Gross State Domestic product within the period commencing on 1st day of April, 2004 and ending with the 31st day of March, 2009 and reduce fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product in each of the financial years and the goal referred to above.

3. The Thirteenth Finance Commission has recommended for the shifting the target years for achieving fiscal targets mentioned in para 2 above.

It has, therefore, been decided to amend the said clauses *(a)*, *(c)* and *(f)* to provide respectively for reducing revenue deficit, fiscal deficit and debt stock as percentage of Gross Domestic Product as per the recommendations of the thirteenth Finance Commission. Besides, the Thirteenth Finance Commission has recommended to make the medium term Fiscal restructuring policy to be made more comprehensive, and to constitute an independent authority to review the fiscal position of the State with special reference to the implementation of various clauses of the said Act of 2004.

The Uttar Pradesh Fiscal responsibility and budget management (Amendment) Bill, 2011 is introduced accordingly.

By order,
K.K. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1232 राजपत्र (हि०)–2011–(2516)–597+2 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 188 सा० विधायी–2011–(2517)–850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।